विरूद्ध म0प्र0 शा

पक्षकारों व आदि के हस्ता

दी

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

आवेदक — श्री पहल सिंह, आत्मज श्री खितई सिंह, सम्पत बाई बेवा पत्नी स्व. खितई सिंह (जाति गौड़) आदिवासी निवासी– घॉट पिपरिया थाना बरगी तह. बरगी जिला जबलपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदक — म.प्र. शासन

द्वारा – कलेक्टर, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्र.क्र.317 / अ–21 / 2012–13

आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता है :–

1. यह कि आवेदक की मौजा टींगन नं.बं. 251 प.ह.नं. 40, रा.नि.मं. बरगी तह. व जिला जबलपुर स्थित खसरा नं. 155 रकवा 0.25 हेक्टेयर, ख.नं. 156 / 3 रकवा 0.87 हेक्टेयर, ख.नं. 172 रकवा 0.47 हेक्टेयर, ख.नं. 173 / 2 रकवा 0.88 हेक्टैयर, ख.नं. 234, रकवा 0.33 हेक्टेयर, ख.नं. 156 / 4 रकवा 0.72 कुल रकवा 3.52 हेक्टेयर एक फसली झाड़–पेड़ों से मुक्त खेतों के बीचोंबीच मौजा टींगन तह. व जिला जबलपुर में स्थित है। जिसके समस्त भू राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज है। इसी अधिकार व हैसियत से मुझ आवेदक के द्वारा क्रेता श्री अयोध्या त्रिपाठी पिता स्व. श्री राममिलन त्रिपाठी मैनेजिंग डायरेक्टर सतपुड़ा इन्फ्राकॉन प्राय.लिमि. निवासी गढ़ा जैन मंदिर के पीछे, जबलपुर वालों से भूमि के विक्रय का सौदा अनुबंध पत्र के माध्यम से तय किया था। वर्तमान में श्री अयोध्या त्रिपाठी भूमि क्रय करने के इच्छुक नहीं है। किंतु उनके स्थान पर श्रीमति माया त्रिपाठी पत्नि श्री अयोध्या त्रिपाठी उम्र लगभग 67 वर्ष निवासी–516, गढा, जबलपुर भूमि क्रय करने की इच्छुक है तथा उनके द्वारा वर्तमान गाईड लाईन मूल्य पर भूमि क्रय करने की सहमति दी गई है। अतः श्रीमति माया त्रिपाठी को भूमि विक्रय कर प्रार्थी पूर्व की भांति अपने कर्ज चुका पायेगा तथा श्री अयोध्या त्रिपाठी से

पहल सिंग

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1154–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–4–16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 317/अ–21/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12–2–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक के विद्वान के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया । यह निगरानी कलेक्टर के आदेश दिनांक 12–2–14 के विरूद्ध पेश की गई जो विलंब से प्रस्तुत है । निगरानी मेमो के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में विलंब के संबंध में यह आधार लिया गया है कि आवेदक कम पढ़ा लिखा आदिवासी व्यक्ति है जिसे कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन के अंतिम के संबंध में जानकारी प्राप्त न होने पर वह निरंतर इस असमंजस्य में रहा कि उसका प्रकरण अभी विचाराधीन है । जब वह मार्च–2016 में कलेक्टर कार्यालय में जानकारी लेने गया तब ज्ञात हुआ कि उसका आवेदन निरस्त किया जा चुका है तब उन्होंने दिनांक 16–3–2016 को आवेदन पेश कर लोक सूचना अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के प्रकरण की नकलें प्राप्त की गई तब उसे प्रकरण निरस्त किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई । आवेदक द्वारा तर्को में यह कहा गया है कि राजस्व मंडल, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि तकनीकि आधार पर मामला खारिज नहीं किया जाना चाहिए – उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए । आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में दिए गए तर्को के समर्थन	

R 1154.5/16 (Jabalpur)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं विभागकों आदि के हस्ताक्षर

में अपना शपथपत्र भी पेश किया गया है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा बताए गए विलंब के आधार सद्भाविक मान्य करने हेतु विलंब क्षमा किए जाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है । अतः विलंब क्षमा किया जाता है ।

3/ जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें उसके द्वारा मौजा टीगन नं0 बं0 251, प0ह0न0 40 रा0नि0मं0 बरगी स्थित भूमि खसरा नंबर 155, 156/3, 172, 173/2, 234 एवं 156/4 रकबा क्रमशः 0.25, 0.87, 0.47, 0.88, 0.33 एवं 0.72 हैक्टर कुल रकबा 3.52 हैक्टर को गैर आदिवासी सतपुड़ा इन्फोकॉम प्रा. लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी पिता स्व0. राममिलन त्रिपाठी निवासी गढ़ा जैन मंदिर के पीछे तहसील व जिला जबलपुर को को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । कलेक्टर द्वारा इस आधार पर आवेदक का आवेदन खारिज कर प्रकरण समाप्त किया गया है कि आवेदक अब भूमि विक्रय नहीं करना चाहता है । आवेदक की ओर से इस संबंध में यह कहा गया है कि उस समय उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के यह कहने पर वे उसे अधिक मूल्य देंगे भूमि विक्रय न करने का कथन किया था किंतु उनके द्वारा उसके बाद भूमि क्रय नहीं की गई । चूंकि प्रस्तावित केता द्वारा अनुबंध के समय दी गई राशि वापिस किए जाने की मांग कर रहे हैं इसके अतिरिक्त आवेदक को अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी धनराशि की आवश्यकता है । इस कारण भूमि विक्रय की अनुमति हेतु यह निगरानी पेश की गई है । उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अन्य केता श्रीमती माया त्रिपाठी पत्नि श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी निवासी 516, गढ़ा जबलपुर प्रश्नाधीन भूमियां क्रय करने को इच्छुक हैं तथा वर्तमान गाईड लाईन मूल्य देने को तैयार हैं

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1154–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन अतिरिक्त तहसीलदार, को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से अति. तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । अति0 तहसीलदार ने जो प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया है उसमें यह उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई है । भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । दर्शित परिस्थिति में आवेदक के तर्को को मान्य करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश 12–2–14 निरस्त किया जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की मौजा टीगन नं0 बं0 251, प0ह0न0 40 रा0नि0मं0 बरगी स्थित भूमि खसरा नंबर 155, 156/3, 172, 173/2, 234 एवं 156/4 रकबा क्रमशः 0.25, 0.87, 0.47, 0.88, 0.33 एवं 0.72 हैक्टर कुल रकबा 3.52 हैक्टर को श्रीमती माया त्रिपाठी पत्नि श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी निवासी 516, गढ़ा जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है । 1– यदि प्रस्तावित केता चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों आदि के हस्ता
	2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 1154-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-08-16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण लिया गया । आवेदक तथा उपस्थित शासकीय अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया । आवेदक द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 27-4-16 को आदेश पारित कर आवेदक को शर्तो के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त कमांक 4 के अनुसार 3 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक शहर से दूर गांव में निवास करते हैं । अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के कारण वे इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई समयावधि में विक्रयपत्र श्रीमती माया त्रिपाठी के पक्ष में निष्पादित नहीं करा पाये । आवेदक माह जुलाई में विक्रयपत्र निष्पादन कराने हेतु उप पंजीयक के समक्ष उपस्थित हुए तब उप पंजीयक द्वारा कलेक्टर (आर.डी.एम.) शाखा का पत्र दिनांक 19-7-16 देकर विक्रयपत्र निष्पादन से इंकार किया और कहा कि वे विक्रयपत्र निष्पादन के आदेश जिलाध्यक्ष से लायें । इस कारण से इस न्यायालय के आदेश की अवधि दिनांक 27-7-16 को समाप्त हो गई है । उक्त आधार पर उनके द्वारा 3 माह का समय विक्रयपत्र का पंजीयन कराने हेतु दिये जाने का अनुरोध किया गया । शासकीय अधिवक्ता को उक्त आवेदन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है । प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए आवेदक को विक्रयपत्र निष्पादित कराने हेतु 3 माह का समय न्यायहित में और प्रदान किया जाता है । सदस्य	